न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

भगवान सिंह बनाम ... सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु.नं. 137/2022	
	आदिनांक तक वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा व जवाब परावर्तित पेश नहीं किया गया। अतः वकील प्रतिवादीगण द्वारा आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किए जाने पर वकील प्रतिवादीगण की जवाब दावा व जवाब परावर्तित की जवाबदेही बंद की जाती है। वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 05-02-24 को पेश हो।	
	दिलिप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना	
05.02.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। साक्ष्य वादी में वादी भगवान सिंह पुत्र राम कुंवार सिंह व वादी साक्ष्य गवाहान् में गवाह गुल्लाराम यादव पुत्र भूराराम व बद्रीलाल पुत्र छाजूराम जाति कुमावत के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी नम्बर 1 की जवाब देही बन्द कर दिये जाने व प्रतिवादीगण नम्बर 7, 9 ता 11, 14, 16, 17, 20 व 26 लगायत 32 के द्वारा इकबाली जवाब पेश कर दिये जाने पर प्रकरण में तनकीयात् विरचित नही की गयी। वकील प्रतिवादी नम्बर 1 व पक्षकार को बार–बार आवाज दिलायी जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व शेष प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नही करना चाहा। अतः जिरह बन्द की जाकर वादपत्र को सीधे ही बहस हेतु नियत किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण नम्बर 7, 9 ता 11, 14, 16, 17, 20 व प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 32 वकील तरतीबी पक्षकार के द्वारा प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण	भगवानसिंह बद्रीलाल गुल्लाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]सिंह बनाम [illegible]सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दफा मु.नं. 132/2022
	किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस अंतिम वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Rathore 03/02/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	सीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
139 / 2022	2022 / 359	02.11.2022	05.02.2024

उनवान प्रकरण

भगवानसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह आयु 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——वादी——

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र भंवरसिंह आयु 87 वर्ष
2. बिशन कंवर पत्नी सवाईसिंह आयु 70 वर्ष
3. शिवराजसिंह पुत्र सवाईसिंह आयु 35 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

4. तंवरी कंवर पुत्री सवाईसिंह पत्नी जयसिंह आयु 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी दुराना तहसील मण्डावा जिला झून्झूनू (राज0)
5. मैना कंवर पुत्री सवाईसिंह आयु 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. बेबी कंवर पुत्री सवाईसिंह आयु 33 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
7. सज्जन कंवर पत्नी उम्मेदसिंह आयु 79 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
8. जनक कंवर पुत्री उम्मेदसिंह आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 469 तारानगर झोटवाड़ा जिला जयपुर (राज0) पिन कोड– 202012
9. जयसिंह पुत्र उम्मेदसिंह आयु 61 वर्ष

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

10. ओमसिंह पुत्र उम्मेदसिंह आयु 59 वर्ष

11. श्यामसिंह पुत्र उम्मेदसिंह आयु 53 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

12. आनन्द कंवर पुत्री उम्मेदसिंह आयु 63 वर्ष पत्नी जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी महाराणा प्रताप नगर जनक मार्ग, मकान नम्बर 48, खातीपुरा जयपुर पिन कोड–302012

13. गोपाल कंवर पुत्री उम्मेदसिंह आयु 57 वर्ष पत्नी दीपसिंह राजपूत निवासी इन्द्रोखा रामलहर सदन तहसील व जिला जोधपुर (राज0)

14. तोफकंवर पत्नी धनसिंह आयु 82 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

15. सोहनसिंह पुत्र तोफसिंह मृत्तक के बजाय :–

15/1 सम्पत कंवर पुत्री स्व. सोहन सिंह पत्नी रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर हाल ससुराल आर.टी.ओ. के पीछे विष्णु पथ, बी.जे.एस. जोधपुर पिन कोड–342006

15/2 राजू कंवर पुत्री स्व. सोहन सिंह पत्नी नारायणसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर हाल ससुराल गोल छावनी, गणपति नगर, रीजनल कॉलेज अजमेर (राज0) पिन कोड–342006

15/3 मंजू कंवर पुत्री स्व. सोहन सिंह पत्नी हनुवतंसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर हाल ससुराल रीजनल कॉलेज अजमेर (राज0) पिन कोड–305004

15/4 नीतूकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह पौत्री सोहनसिंह पत्नी सलैन्द्रसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर हाल ससुराल काटेटड़ा हाऊस अलख नन्दा कॉलोनी, रीजनल कॉलेज अजमेर (राज0) पिन कोड–305004

15/5 नीलम कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह पौत्री सोहनसिंह पत्नी पूर्णसिंह राठौड बिणजारी जाति राजपूत निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर हाल

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रमजीवी कॉलेज चौधरी कॉलोनी पुष्कर रोड, अजमेर (राज0) पिन कोड–305004

15/6 कोमल कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह पौत्री सोहनसिंह पत्नी सांवतसिंह जोधा जाति राजपूत निवासी गुढा रोड, भैरूंदा नागौर (राज0) पिन कोड–341031

15/7 शोभा कंवर पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्रवधू सोहनसिंह

15/8 हर्षवर्धन सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह पौत्र सोहनसिंह

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

16. मदनसिंह पुत्र तोफसिंह आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

17. रघुवीरसिंह पुत्र शोभसिंह आयु 78 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

18. **लक्ष्मणसिंह पुत्र शोभसिंह मृत्तक के बजाय :–**

18/1. सुरज कंवर पत्नी स्व. लक्ष्मणसिंह

18/2 विक्रमसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह

18/3 गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मणसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण मकान नम्बर 2/111, हाउसिंग बोर्ड रोड़वेज बस डिपो के पीछे सीकर

18/4 अनिता कंवर पुत्री स्व. लक्ष्मणसिंह पत्नी भागीरथसिंह निवासी गांव चूई तहसील डेगाना जिला नागौर

19. किशनसिंह पुत्र शोभसिंह आयु 68 वर्ष जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर 2/125 हाऊसिंग बोर्ड रोड़वेज बस डिपो के पीछे, सीकर (राज0)

20. राजेन्द्रसिंह पुत्र सुमेरसिंह आयु 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

21. विनोद कंवर पुत्री सुमेरसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंह आयु 50 वर्ष जाति राजपूत

उपखण्ड अधिकारी (seal)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

निवासी प्लाट नम्बर 72, निमानी मधी बायपास मण्डोर जोधपुर (राज0)

22. नीरज कंवर उर्फ रजनी कवंर पुत्री सुमेरसिंह पत्नी पाबूदानसिंह आयु 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी किशोरपुरा वाया पौख जिला झुन्झूनू (राज0) पिन कोड– 333053

23. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

24. उपपंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर

25. पटवारी पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर

––प्रतिवादीगण

26. विरेन्द्र सिंह पुत्र रामकुंवार सिंह आयु वर्ष

27. रविन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह आयु वर्ष

28. सोमेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह आयु वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

29. सुनिता कंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह आयु वर्ष पत्नी सायरसिंह तंवर जाति राजपूत निवासी माकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान पिन कोड– 332711

30. दीपिका कंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह आयु वर्ष पत्नी नीरूसिंह तवंर जाति राजपूत निवासी माकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान पिन कोड– 332711

31. ज्योति कवंर पुत्री राजेन्द्रसिंह आयु वर्ष पत्नी सुरेन्द्रसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी गोठ बालाजी पोस्ट भैरूंदा तहसील रिया बड़ी जिला नागौर राजस्थान पिन कोड– 341031

32. रीतिका कंवर पुत्री राजेन्द्रसिंह आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी गोठ बालाजी पोस्ट भैरूंदा तहसील रिया बड़ी जिला नागौर राजस्थान पिन कोड– 341031

–तरतीबी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

03/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थिति –

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनिया एड0 प्रतिवादी संख्या 7, 9 ता 11, 14, 16, 17, 20, अभिभाषक।

श्री निखिल शर्मा तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 26 ता 32 अभिभाषक

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या–23 की ओर से।

दावा बाबत् उदघोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड
एंव स्थाई निषेधाज्ञा,

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 1156 जिसके नये खसरा नम्बर 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135 कुल किता 8 कुल रकबा 3.63 हैक्टर तन् ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसका वर्तमान राजस्व रिकार्ड 1/4 हिस्से का मृत्तक भंवरसिंह पुत्र उगमसिंह के नाम चला आ रहा हैं जो कि गलत है जबकि उक्त 1/4 हिस्से में से 1/5 हिस्से पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एंव 1/5 हिस्से पर प्रतिवादीबण नम्बर 1 ता 6 एंव 1/5 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 13 व 1/5 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 14 ता 16 एंव शेष 1/5 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 17 ता 22 काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार खानदान के है तथा इनका कुर्सीनामा ग्राम पंचायत महरोली द्वारा जारी किया गया हैं जो सही है। उक्त कुर्सीनामा के आधार पर पक्षकारान एक ही परिवार खानदान के है तथा भंवरसिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से 1/5 हिस्से पर अर्थात

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कुल भूमि मे 1/20 हिस्से पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एंव 1/5 हिस्से पर अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 एंव 1/5 हिस्से पर अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 13 व 1/5 हिस्से पर अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 14 ता 16 एंव शेष 1/5 हिस्से अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 17 ता 22 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त वर्णित भूमिया वादी एंव तरतीबी पक्षकारान व प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि पूर्व में वादी एंव तरतीबी पक्षकारान एंव प्रतिवादीगण के पिता, दादा भंवरसिंह, गाडसिंह, तोफसिंह, सोबसिंह, रामकुंवारसिंह के नाम चली आ रही थी। उक्त वर्णित भूमि के अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण एंव तरतीबी पक्षकारान की ओर भी भूमिया हैं जिसमें वादी एंव प्रतिवादीगण एंव तरतीबी प्रतिवादीगण का सबका बराबर हिस्सा है लेकिन उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियो की गफलत से केवल मात्र मृत्तक भंवरसिंह पुत्र उगमसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है जो दुरूस्तनीय है। वादी एंव तरतीबी पक्षकारान ने अपने हिस्से की भूमियों को अपनी स्वंय की मेहनत व लाखो रूपये लगाकर उन्नत एंव उपजाऊ बनाकर भूमियों को समतल करवाया हैं। वादी एंव तरतीबी पक्षकारान उक्त भूमियो पर वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज होने के कारण उक्त भूमियों खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादी एंव तरतीबी पक्षकारान के नाम नहीं होने के कारण वादीगण एंव तरतीबी पक्षकारान को सख्त हकतल्फी हैं। वादी एंव तरतीबी पक्षकारान सरकारी सहायता ऋण, अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से वंचित हो रहे हैं एंव खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वादी एंव तरतीबी पक्षकारान वंचित हो रहे है। उक्त भूमि का पुराना राजस्व रिकार्ड संवत 2012 में भंवरसिंह, तोफसिंह, गाडसिंह, जीवसिंह, रामकुंवारसिंह के नाम से अंकित चला आ रहा है। वादी एंव तरतीबी पक्षकारान ने प्रतिवादीगण को खातेदारी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम अंकित कराने बाबत कंहा तो प्रतिवादीगण पहले तो आश्वासन देते रहे कि तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा देगें परन्तु अब प्रतिवादीगण ने अर्सा पांच रोज पूर्व इन्कार कर दिया है। इसलिये

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिव्या ...)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायहित मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने हेतु उक्त वादपत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया हैं।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड डाक सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्मन तामील असालतन होकर लोटी। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह महरोली एडवोकेट उपस्थित आये एवं प्रतिवादी नम्बर 7, 9 ता 11, 14, 16, 17, 20 की ओर से एडवोकेट श्री कानाराम पूनियां ने हाजिर होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 26 लगायत 32 की ओर से एडवोकेट श्री निखिल शर्मा हाजिर आये। शेष प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4, 13, 18, 19, 22 लगायत 24 बावजूद असालतन तामील के हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4, 13, 18, 19, 22 लगायत 24 के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 15 व 18 की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेकर जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तामील तलब किया गया लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 के वारिसान बावजूद असालतन तामील के हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 15 व 18 के वारिसान के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 1 को काफी अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही करने पर प्रतिवादी नम्बर 1 का जवाब प्रार्थना पत्र व जवाब दावा बंद किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जवाब दावा पेश नही होने पर व प्रतिवादी नम्बर 7, 9 ता 11, 14, 16, 17, 20 व 26 लगायत 32 के द्वारा इकबाली जवाब पेश कर दिये जाने पर प्रकरण में तनकीयात् विरचित नही की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य में वादी

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भगवानसिंह का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह मुल्लाराम व बद्रीलाल के शपथ पत्र पेश हुये। वकील प्रतिवादी नम्बर 1 व पक्षकार को बार–बार आवाज दिलायी जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व शेष प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नही करना चाहा। अतः जिरह बन्द की जाकर वादपत्र को सीधे ही बहस हेतु नियत किया गया।

वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण नम्बर 7, 9 ता 11, 14, 16, 17, 20 व प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 32 वकील तरतीबी पक्षकार के द्वारा प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस अंतिम वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गयी। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध कुर्सीनामा द्वारा ग्राम पंचायत महरोली, राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् में पेश जमाबंदी संवत 2074 – 2077, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, भू प्रबन्ध सैटलमेन्ट विभाग की जमाबंदी सम्वत 2012, जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027, खसरा गिरदावरियां सम्वत् 2012 लगायत 2019, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पूर्व में गिरदावरियो में भंवरसिंह व उसके अन्य चार भाईयो के नाम थी लेकिन सैटलमेन्ट में उक्त भूमि अकेले भंवरसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है, जो काबिल दुरूस्तनीय प्रतित होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा में अंकित तथ्यों की ताईद साक्ष्य वादी में वादी व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

लिखित शुदा शपथ पत्रो से वादपत्र को बल मिलता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात खसरा गिरदावरीयो के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् उदघोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135 कुल किता 8 कुल रकबा 3.63 हैक्टर तन् ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में मृत्तक भंवरसिंह पुत्र उगमसिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से 1/5 हिस्से अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 26 ता 32 को एंव 1/5 हिस्से अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को एंव 1/5 हिस्से अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 13 व 1/5 हिस्से अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 14 ता 16 एंव शेष 1/5 हिस्से अर्थात कुल भूमि में 1/20 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर 17 ता 22 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उपरोक्त हिस्सो से मृत्तक भंवरसिंह पुत्र उगमसिंह व प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा भूमिधारी तहसीलदार को उक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/02/24
(दिलीप सिंह)
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/02/24
(दिलीप सिंह)
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)